भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3698
24.03.2025 को उत्तर के लिए

वन्यजीवों के हमले

3698. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि मानव-जानवर संघर्ष बढ़ रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है या सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने मानव-जानवर संघर्ष में वृद्धि के कारणों पर कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) वन्यजीव हमले के कारण होने वाले हताहतों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): देश के विभिन्न भागों से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष के संबंध में राज्यवार आंकड़ों में कमी और वृद्धि को दर्शाती है। मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पर्यावास का क्षरण, प्राकृतिक शिकार आधार में कमी, वन्यजीव पर्यावास में प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों का मानव द्वारा चारे, ईंधन-लकड़ी, घास काटने और जंगली फलों के दोहन आदि जैसे विभिन्न उपयोग।

ii. सतत संरक्षण प्रयासों के कारण जंगली जानवरों की जनसंख्या में वृद्धि।

iii. फसल पैटर्न में परिवर्तन, वन सीमांत क्षेत्रों में आवारा कुत्तों और मवेशियों की मौजूदगी आदि।

वन्यजीवों के संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. केंद्र सरकार देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन सहित वन्यजीवों और उनके पर्यावास के प्रबंधन के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं, 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' और 'बाघ एवं हाथी परियोजना' के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त कार्यकलापों में खेतों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए सौर ऊर्जा संचालित बिजली की बाड़, जैव-बाड़, चारदीवारी आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण/स्थापना शामिल है।

ii. मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए एक परामर्शिका जारी की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन के संबंध में दिनांक 3 जून, 2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

iii. मंत्रालय ने दिनांक 21.03.2023 को मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए प्रजाति-विशिष्ट दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

iv. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 मानव-वन्य जीव संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए विनियामक कार्यों का प्रावधान करता है।

v. वन्य जीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत पूरे देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को कवर करते हुए राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों जैसे संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है।

vi. मंत्रालय ने दिसंबर 2023 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना- 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के अंतर्गत जंगली जानवरों के हमलों के कारण मृत्यु या स्थायी अक्षमता के मामले में अनुग्रह राहत राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है।

vii. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 33 में शामिल प्रावधानों के अनुसार, मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्रों और अन्य भू-परिदृश्य घटकों के लिए प्रबंधन योजना की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(घ) मंत्रालय में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में बाघों और हाथियों के हमले के कारण मारे गए लोगों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-।

"वन्यजीवों के हमले" के संबंध में दिनांक 24.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3698 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक ।

गत पांच वर्षों के दौरान बाघों के हमले के कारण मारे गए लोगों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2020	2021	2022	2023	2024
1.	असम	0	0	0	0	4
2.	बिहार	1	4	9	1	2
3.	छत्तीसगढ़	0	0	0	3	0
4.	कर्नाटक	0	1	1	8	2
5.	केरल	2	0	0	0	0
6.	मध्य प्रदेश	11	2	3	10	6
7.	महाराष्ट्र	25	32	82	37	42
8.	तमिलनाडु	1	3	0	1	0
9.	तेलंगाना	2	0	0	0	1
10.	उत्तर प्रदेश	4	11	11	25	10
11.	उत्तराखंड	0	1	3	0	5
12.	पश्चिम बंगाल	5	5	1	0	1
कुल		**51**	**59**	**110**	**85**	**73**

अनुलग्नक-।।

"वन्यजीवों के हमले" के संबंध में दिनांक 24.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3698 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गत पांच वर्षों के दौरान हाथियों के हमले के कारण मारे गए लोगों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	आंध्र प्रदेश	4	6	4	5	6
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	2	2	0	0
3.	असम	75	91	63	80	74
4.	छत्तीसगढ़	77	42	64	69	51
5.	झारखंड	84	74	133	96	87
6.	कर्नाटक	30	26	27	29	48
7.	केरल	12	20	25	22	23
8.	महाराष्ट्र	1	0	0	2	5
9.	मेघालय	4	6	3	3	7
10.	नागालैंड	0	0	0	1	1
11.	ओडिशा	117	93	112	148	154
12.	तमिलनाडु	58	57	37	43	61
13.	त्रिपुरा	2	1	2	2	1
14.	उत्तर प्रदेश	6	1	0	4	4
15.	उत्तराखंड	9	13	12	4	8
16.	पश्चिम बंगाल	116	47	77	97	99
	कुल	**595**	**479**	**561**	**605**	**629**

*****